भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3651

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य डेटा की पारदर्शिता और पहुंच

†3651. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2024 तक नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) डेटा और मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) अपडेट जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों को जारी करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीति जैसी पहलों पर उक्त विलंब का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लगभग तीन वर्षों की आवधिकता के साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और संबंधित डोमेन जैसे जनसंख्या की विशेषताएं; प्रजनन क्षमता और प्रजनन प्राथमिकताएं; परिवार नियोजन; शिशु और बाल मृत्यु दर; मातृ एवं बाल स्वास्थ्य; पोषण; रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल; महिला सशक्तीकरण आदि के संबंध में डेटा प्रदान करता है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर डेटा का महत्वपूर्ण स्रोत है। एनएफएचएस-5 2019-21 के दौरान आयोजित किया गया था और इसकी रिपोर्ट 2022 में जारी की गई थी। एनएफएचएस-6 को समय पर शुरू किया गया है। मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) का अनुमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (ओआरजीआई) के कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है। यह मंत्रालय नोडल एजेंसी के साथ नियमित फॉलो-अप और प्रगति की निगरानी और मध्यवर्ती चरणों की देखरेख के लिए उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन करके एनएफएचएस डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करता है। पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करने के

लिए, एनएफएचएस के फैक्टशीट और रिपोर्ट में एनएफएचएस का अलग-अलग डेटा, यूनिट स्तर के डेटा के साथ आमतौर पर एक एनएफएचएस के लिए जारी किया जाता है। नीति निर्माताओं को डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करके, मंत्रालय ने इन जनसांख्यिकी में स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण (आरएमएनसीएच + एन) कार्य-नीति के तहत कई पहलों को लागू किया है। प्रमुख कार्यक्रमों/पहलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), लक्ष्य कार्यक्रम, प्रसूति बिंदू, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी), मिडवाइफरी सेवा पहल, पोषण अभियान आदि शामिल हैं।

*****